

आमंत्रण / सूचना

Online Court / ऑनलाइन लोक अदालत

Online Court / ऑनलाइन लोक अदालत

(दिव्यांगजनों के सहायतार्थ हेतु ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन)

दिनांक : 25 अप्रैल 2020 को सुबह 11:00 बजे से अपराहण 2:00 बजे तक

कोविड-19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देशों के तहत विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Google Meet/Hangout/अन्यल) के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए 25 अप्रैल 2020 (शनिवार) को सुबह 11:00 बजे से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन कर दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

बिहार के दिव्यांगजन 1. पेंशन से संबंधित, 2. राशन कार्ड से संबंधित, 3. पुनर्वास से संबंधित, 4. कोविड-19 राहत से संबंधित, एवं 5. अन्य समस्याओं से संबंधित शिकायत ऑनलाइन अदालत में कर सकते हैं।

नोट - इस लोक अदालत में भाग लेने के लिए आप अपनी हस्तलिखित शिकायत पत्र, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, व्हाट्सअप नं०, ईमेल, आदि आपको व्हाट्सअप नं० 9431015499 / 7004710584 एवं ईमेल scdisability2008@gmail.com & shivajee100@gmail.com पर भेजना होगा उसके तत्पश्चात आपको ऑनलाइन लोक अदालत का कोड दिया जायेगा जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं एवं आपकी समस्या का निपटारा किया जायेगा।

नीचे दिये गये लिंक पर अपना विवरण डाल सकते हैं-

<https://forms.gle/cBGG2wZGCghkAaWa8>

निवेदक :

डॉ० शिवाजी कुमार

राज्यक आयुक्ता निःशक्तयता (दिव्यांगजन)

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, सचिवालय, सिंचाई भवन,

पटना - 800015

फोन: 0612-2215041/9431015499



आमंत्रण / सूचना



Online Court / ऑनलाइन लोक अदालत

(दिव्यांगजनों के सहायतार्थ हेतु ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन)

दिनांक : 25 अप्रैल 2020 (शनिवार)

समय : सुबह 11:00 बजे से अपराहण 2:00 बजे तक



कोविड-19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देशों के तहत विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Google Meet/Hangout/अन्य) के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए 25 अप्रैल 2020 (शनिवार) को सुबह 11:00 बजे से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन कर दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

बिहार के दिव्यांगजन

- पेंशन से संबंधित
- राशन कार्ड से संबंधित
- पुनर्वास से संबंधित
- कोविड-19 राहत से संबंधित
- एवं अन्य समस्याओं से संबंधित

शिकायत ऑनलाइन अदालत में कर सकते हैं।



निवेदक :

डॉ० शिवाजी कुमार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन)

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, सचिवालय, सिंचाई भवन,

पटना - 800015

0612-2215041

नोट - इस लोक अदालत में भाग लेने के लिए आप अपनी हस्तलिखित शिकायत पत्र, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, व्हाट्सअप नं०, ईमेल आदि आपको व्हाट्सअप नं० 9431015499 / 7004710584 एवं ईमेल scdisability2008@gmail.com & shivajee100@gmail.com पर भेजना होगा उसके तत्पश्चात आपको ऑनलाइन लोक अदालत का कोड दिया जायेगा जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं एवं आपकी समस्या का निपटारा किया जायेगा।